

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 4449/2018

कमलेश देवी

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अलवर (राज.)।
3. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखंड बहरोड, अलवर (राज.)।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.11.2018  
आदेश की दिनांक : 15.10.2024

## उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री अजात शत्रु मीना, अभिभाषक  
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को राशि रूपये 2,67,961/— एवं 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें और अपीलार्थी के पति को स्टोर मुंशी के पद पर 28 वर्ष की सेवा को सफलतापूर्ण मानते हुये स्थायी माना जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :-

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के पति स्व. श्री सुरजीत सिंह यादव जिनकी नियुक्ति हैल्पर के पद पर हुई थी और वर्तमान अपील अपीलार्थी से लीव एनकेशमेंट की राशि अनुचित रूप से वसूली के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील 290 उपार्जित अवकाश लीव एनकेशमेंट राशि रूपये 2,67,961/— की वसूली के विरुद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के पति की प्रारंभिक नियुक्ति हैल्पर ग्रेड द्वितीय के पद पर और बाद में उसे स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी आधार पर किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग अनुचित

रूप से अपीलार्थी से उक्त राशि वसूल रहा है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा श्री गणपत लाल शर्मा बनाम राज्य एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 5932/2010 में आदेश पारित किया। अपीलार्थी से जो राशि अनुचित रूप से वसूली जा रही है और इस प्रकार की वसूली माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह वाले मामले में इस प्रकार वसूली किया जाना अनुचित व अवैद्य माना है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से उक्त राशि वसूलना उक्त विधि के विरुद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को राशि रुपये 2,67,961/- एवं 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान किये जाने के आदेश फरमाये जावें और अपीलार्थी के पति को स्टोर मुंशी के पद पर 28 वर्ष की सेवा को सफलतापूर्ण मानते हुये स्थायी माना जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी दिनांक 08.10.2015 को अर्द्धस्थायी स्टोर मुंशी के पद पर कार्यरत था, जो उस समय नियमित घोषित नहीं हुआ था, जिसे लीव एनकेशमेंट 290 दिवस का किया गया भुगतान देय नहीं था और नियम विरुद्ध मानते हुये वसूल किया गया। उक्त अपीलार्थी को मृत्योपरांत सेवानिवृत्त दिनांक 11.05.2013 को नियमित घोषित नहीं किया गया था और नियमित घोषित कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियमानुसार उपार्जित अवकाश अधिकतम 300 दिवस देय हैं और अपीलार्थी को 290 दिवस का लीव एनकेशमेंट दिया गया, जो देय नहीं था। अपीलार्थी मृत्योपरांत सेवानिवृत्ति के समय न तो स्थायी एवं न ही नियमित घोषित किया गया और इस प्रकार किया गया भुगतान नियम विरुद्ध है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के पति स्व. श्री सुरजीत सिंह यादव जिनकी नियुक्ति हैल्पर के पद पर हुई थी और वर्तमान अपील अपीलार्थी से लीव एनकेशमेंट की राशि अनुचित रूप से वसूली के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील 290 उपार्जित अवकाश लीव एनकेशमेंट राशि रुपये 2,67,961/- की वसूली के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी के पति की प्रारंभिक नियुक्ति हैल्पर ग्रेड द्वितीय के पद पर और बाद में उसे स्टोर मुंशी के पद पर अर्द्धस्थायी आधार पर किया गया। प्रत्यर्थी विभाग अनुचित रूप से अपीलार्थी से उक्त राशि वसूल रहा है। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी से आदेश दिनांक 08.10.2015 के द्वारा राशि रूपये 2,67,961/— वसूल किये जाने का प्रश्न है, पत्रावली के अवलोकन से एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह स्पष्ट उल्लेख है कि अपीलार्थी की मृत्यु उपरांत सेवानिवृत्ति दिनांक 11.05.2013 को हुई और सेवानिवृत्ति पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त आलोच्य वसूली आदेश जारी किया गया है, जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रकरण पंजाब राज्य बनाम रफीक मसीह 2015 (1) SCT 195 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया गया है :-

***"12. It is not possible to postulate all situations of hardship, which would govern employees on the issue of recovery, where payments have mistakenly been made by the employer, in excess of their entitlement. Be that as it may, based on the decisions referred to herein above, we may, as a ready reference, summarise the following few situations, wherein recoveries by the employers, would be impermissible in law:***

- (i) Recovery from employees belonging to Class-III and Class-IV service (or Group 'C' and Group 'D' service).***
- (ii) Recovery from retired employees, or employees who are due to retire within one year, of the order of recovery.***
- (iii) Recovery from employees, when the excess payment has been made for a period in excess of five years, before the order of recovery is issued.***
- (iv) Recovery in cases where an employee has wrongfully been required to discharge duties of a higher post, and has been paid accordingly, even though he should have rightfully been required to work against an inferior post.***
- (v) In any other case, where the Court arrives at the conclusion, that recovery if made from the employee. would be iniquitous or harsh or arbitrary to such an extent, as would far outweigh the equitable balance of the employer's right to recover."***

अतः न्याय निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से माना है कि जहां कार्मिक सेवानिवृत्त हो गया है तो उससे वसूली न की जाये। उपरोक्त

न्यायिक दृष्टांत से हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी से उसकी सेवानिवृत्ति पश्चात् वसूली किया जाना उचित नहीं है।

परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रफीक मसीह वाले मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी से उक्त मामले के संबंध में कोई राशि वसूल नहीं की जावे। उक्त निर्देशों के साथ अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(शुचि शर्मा)  
सदस्य